

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक), नवलगढ

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.

जगदीश सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।	-बनाम-	नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह जाति जाखल निवासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
किस्म मुकदमा - ईजराय		मु.नं. 55...../2022 RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
------	-----------------	---------------------------

30.09.22	<p>आज यह ईजराय प्रस्तुत हुई। ईजराय में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ईजराय दर्ज दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार नवलगढ को मुकदमा नम्बर 47/2020 का फौसला डिक्री दिनांक 28.09.2022 की प्रमाणित प्रति भेजकर डिक्री की क्रियान्विति नियमानुसार कर पालना रिपोर्ट दिनांक 21.10.2022 से पूर्व भिजवाई जाने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बर्इन्तजार रिपोर्ट दिनांक 21.10.2022 को पेश हो।</p> <p>21.10.22 पत्रावली पेश हुई। आज धासभाषक नेप द्वारा न्यायालय कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही दिनांक 18.11.22 को पेश हो।</p> <p>18.11.22 पत्रावली पेश हुई। नवलगढ फौजदारी कमिश्नर वकील वादी/प्रतिवादी ने पालना रिपोर्ट हेतु पुन अवसर मांगा। अदालत दिया जाता है। मिसल दिनांक 9.12.22 को पेश हो।</p> <p>9.12.22 पत्रावली पेश हुई। आज धासभाषक नेप द्वारा न्यायालय कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही दिनांक 26.12.22 को पेश हो।</p> <p>26.12.22 पत्रावली पेश हुई। नवलगढ फौजदारी कमिश्नर वकील वादी/प्रतिवादी ने पालना रिपोर्ट हेतु पुन अवसर मांगा। अदालत दिया जाता है। मिसल दिनांक 9.1.23 को पेश हो।</p> <p>01/1/23 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी प्रमाणित/अवलोकन/अवलोकन में अदालत होने में अदालत में 25/1/23 भेज दी।</p> <p>25/1/23 पत्रावली पेश हुई। आज धासभाषक नेप द्वारा न्यायालय कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही दिनांक 13/2/23 को पेश हो।</p>	<p>ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ</p> <p>ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ</p> <p>ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ</p> <p>ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ</p> <p>ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ</p> <p>ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ</p>
----------	--	---



पुनरवास

सेवा

पंजाबली में बहली सख्त नवसाद से
 विपरीत रूप से चुकी है। बहली सख्त नवसाद से
 विपरीत कानुना नामक खेख्या 2073 जिं
 उगाय के द्वारा इजाजत से पणना से चुकी है।
 पंजाबली के ई कार्य नहीं होना कार्य नहीं। पंजाबली
 इसी दला पर समरिज किया जाता है। पंजाबली
 फेरस सुमात होकर वर्ज नामक से कम है।

ए. पी. ई. एम. (क. डी.)
 पंजाब